319 24 सीपीएसई में नागरिक चार्टर

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति ने कतिपय पीएसयू द्वारा हाल ही में नागरिक चार्टर संबंधी सरकारी नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा की है। समिति ने पाया है कि कुछ मामलों में नागरिक चार्टर पीएसयू की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं था। समिति ने इच्छा व्यक्त की है किपीएसयू नागरिक चार्टर तैयार करे और अपनी वेबसाइट पर डाले। समिति यह भी चाहती है कि पीएसयू नागरिक चार्टर में "विजन और मिशन" की निरंतर समीक्षा करें।

2. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) को कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा समय–समय पर यथानिर्धारित नागरिक चार्टर बनाने और कार्यान्वित करने के लिए दिशा–निर्देशों का पालन करना चाहिए। इस संबंध में htttp://goicharters-nic-in पर उपलब्ध सूचना देखी जा सकती है।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से इस संबंध में उनके संबंधित प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सीपीएसई को उपयुक्त सलाह देने का अनुरोध है।

[डीपीई का.ज्ञा.सं.डीपीई–जीएम/0001/2015–जीएम/एफटीएस–3207, दिनांक 19 जनवरी, 2015]

*****